

५/१०/१७

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं।
जमानत में कोई कार्य आवाज लगाये जाने
पर भी वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं आये।
पत्रावली अदम पैवकी, अदम राजरी में खारिज की
जाती है। पत्रावली केवल शुमार गेकर काह करती है,
तकमील काखिल हफ्तर से।

सा
सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

